

भारत सरकार  
श्रम और रोजगार मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-2173  
सोमवार, 2 अगस्त, 2021/11 श्रावण, 1943 (शक)

उच्च मूल्यवर्धित सेवा क्षेत्रों में रोजगार

2173. श्रीमती नवनित रवि राणा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विशेषरूप से उच्च मूल्यवर्धित सेवा क्षेत्रों सहित नए आधुनिक क्षेत्र में अवसर अधिकांशतः पुरुषों के लिए होते हैं जबकि अपने शिक्षा के अनुरूप रोजगार पाने वाली महिलाओं को परिवहन और बाल देखभाल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा यह इतना गंभीर होता है कि वे उक्त कार्य नहीं कर पाती हैं; और
- (ख) यदि हां, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ग्रामीण और कम शिक्षित महिलाओं के लिए कार्य उपलब्धता के बदलते स्वरूप के कारण इसमें कमी आ रही है, (जो मुख्यधारा में श्रम-बल में महिलाओं का शामिल न होना है), सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर  
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ख): रोजगार/बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा 2017-18 से आयोजित किए जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से इकट्ठे किए जा रहे हैं। सर्वेक्षण देश में महिलाओं सहित रोजगार/बेरोजगारी के परिदृश्य हेतु संकेतक प्रदान करता है। 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान आयोजित किए गए पीएलएफएस के परिणामों के अनुसार, सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिलाओं हेतु श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) एवं बेरोजगारी दर (यूआर) नीचे दी गई है:

वर्ष	एलएफपीआर (% में)	यूआर (% में)
पीएलएफएस (2017-18)	23.3	5.6
पीएलएफएस (2018-19)	24.5	5.1
पीएलएफएस (2019-20)	30.0	4.2

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी एवं उनकी रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा के प्रावधानों का उपबंध, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति देना आदि शामिल हैं।

संध्या 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच खुली खुदाई वाले कामकाज तथा भूमिगत कामकाज में सुबह 6 बजे से संध्या 7 बजे के बीच तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्य, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी, सहित भूमि के ऊपर खदानों में महिलाओं को रोजगार की अनुमति प्रदान की गई है।

सामान परिश्रमिक अधिनियम, 1976 को अब मजदूरी संहिता, 2019 में शामिल कर लिया गया है। यह व्यवस्था करता है कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय प्रवर्तित किसी भी कानून द्वारा उसके तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो।

महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

\*\*\*\*\*